**राजस्थान सरकार**

# चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

## स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

No. RMSC/मु०पत्रा/2011/218 Date :- 29/8/11

**संशोधित आदेश**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011–12 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ 2 अक्टूबर, 2011 से निशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु इस कार्यालय के आदेश कमाक RMSC/मु.पत्रा./2011/212 दिनांक 26.08.11 के द्वारा आदेश प्रदान किये गये थे , जिनमे कुछ संशोधन किये जाकर निम्न आदेश प्रदान किये जाते है।

योजना के सफल कियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नानुसार मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है :–

- जिला कलक्टर (अध्यक्ष)
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- एक्स ई.एन./ए.ई.एन., एन.आर.एच.एम./आर.एच.एस.डी.पी.
- हॉस्पिटल मैनेजर (पी.एम.ओ. प्रतिनिधि)
- सहायक रजिस्ट्रार,कार्पेरेटिव
- औषधि नियंत्रक अधिकारी
- जिला परियोजना समन्वयक, आर.एच.एस.डी.पी. (सदस्य सचिव)

जो समय–समय पर बैठक कर जिला औषधि भण्डार एवं दवा वितरण केन्द्रों के कार्यो की प्रगति एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

योजना की कियान्वति की प्रगति की मासिक समीक्षा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व चिकित्सा संस्थान प्रभारी द्वारा भी की जावेगी तथा प्रगति रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति में जिला कलक्टर को समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जावेगी साथ प्रबन्ध निदेशक आर.एम.एस.सी. को नियमित रूप से भिजवाया जानाा सुनिश्चित किया जाएगा।

**प्रमुख शासन सचिव**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी........................................, राजस्थान।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

**विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं**
**प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.**